



सेवा में

कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

पत्रांक ३६९० /१२-१ देहरादून,

दिनांक २५ मई, 2019.

वन विकास निगम,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:- प्रस्ताव संख्या—FP/UK/MIN/38285/2019 देहरादून वन प्रभाग सौंग १,२,३ एवं जाखन १,२ में उपखनिज चुगान की अवधि विस्तार हेतु उपखनिज के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक—२२५५ /१२-१ दिनांक—२३.०५.२०१९।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा विषयोंकित प्रस्ताव में लगाई गई बिन्दु संख्या—१,२,३,४ तक की आपत्तियों का निराकरण कर औन लाईन सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

S.No.	Query	Answer
1.	प्रस्ताव में संलग्न सर्वे ऑफ इण्डिया टोपोशीट, जियों रेफरेन्स मैप अधिकृत संस्था से प्रमाणित नहीं है।	
2.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा फॉर्म—ए के भाग—१ के पैरा—डी में अपलोड औचित्य पत्र (Justification) आपके स्तर से प्रमाणित नहीं है।	औचित्य पत्र में हस्ताक्षर कर अपलोड कर दिये गये है।
3.	प्रस्तावित परियोजना की राष्ट्रीय पार्क, वन्यजीव अभ्यारण्य एवं बायोस्फेर रिजर्व से दूरी से सम्बन्धित प्रमाण—पत्र दिया गया है जबकि यह प्रमाण—पत्र अधिकृत संस्था द्वारा तैयार मानचित्र के साथ अपलोड किया जाना है। परियोजना के कार्यक्षेत्र की दूरी १० किमी० से कम होने पर मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड के स्तर से अनापत्ति प्रमाण—पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में अपनी आख्या भी प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।	
4.	प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि के सम्बन्ध में कार्ययोजना की संस्तुतियां अपलोड नहीं की गई हैं।	कार्ययोजना की संस्तुतियां अपलोड की गई हैं।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।